

प्रारूप

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्

शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,

सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना-800004

फोन न० 0612-2667163 / 2667168

Email: ssabihar@gmail.com,

अल्पकालीन निविदा सूचना

विषय:- गणतंत्र दिवस समारोह, 2023 हेतु झाँकी निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु निविदा के संबंध में।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा पटना के गाँधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह (26 जनवरी, 2023) के अवसर पर प्रदर्शित होनेवाली झाँकी के निर्माण कार्यों के लिए अनुभवी एजेंसियों से मुहरबंद लिफाफों में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग आमंत्रित की जाती है।

प्री-बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान:- 23.12.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना)।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि:- 02.01.2023 को अपराह्न 03:00 बजे तक

तकनीकी निविदा खोलने की तिथि:- 03.01.2023

वित्तीय निविदा खोलने की तिथि:- 04.01.2023

तकनीकी निविदा शर्त:-

1. फर्म/एजेंसी का विगत चार वर्षों (2019 से 2022 तक में) का झाँकी निर्माण कार्य से संबंधित अनुभव होना चाहिए। प्रमाण स्वरूप कार्यादेश की छायाप्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा।
2. फर्म/एजेंसी का कुल टर्नओवर अंतिम तीन वित्तीय वर्षों (2018-19, 2019-20, 2020-21) का कुल रु० 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) होना अनिवार्य है। साथ ही फर्म/एजेंसी का उक्त वर्षों का Profit & Loss A/C एवं Balance sheet भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
3. वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का आयकर रिटर्न समर्पित करना अनिवार्य होगा।
4. फर्म/एजेंसी का जी.एस.टी. नम्बर प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. फर्म/एजेंसी का निबंधन प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।
6. फर्म/एजेंसी को एक शपथ पत्र की मूलप्रति जो कोर्ट या नोटरी के द्वारा निर्गत हो, को देना होगा कि उनके एजेंसी को किसी विभाग/संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
7. निविदादाता द्वारा समर्पित सभी कागजात/अभिलेख की विषय सूची एवं Index लगाना अनिवार्य होगा। उक्त सभी अभिलेख/कागजात पर निविदादाता का हस्ताक्षर एवं फर्म/एजेंसी का मोहर लगाना अनिवार्य होगा।
8. ई.एम.डी. के रूप में रु० 10,000/- (दस हजार मात्र) का डिमांड ड्रॉफ्ट तकनीकी निविदा के साथ समर्पित किया जायेगा, जो राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, शिक्षा भवन, सैदपुर, पटना (SPD, BEPC) Payable at Patna को देय होगा।
9. फर्म/एजेंसी को परफोरमेन्स गारंटी (Performance Guarantee) के रूप में अनुबंध राशि का 5% जमा करना आवश्यक होगा।
10. निविदादाता को टेन्डर दस्तावेज में वर्णित अवधि के अंदर निविदा जमा करना आवश्यक होगा।
11. टेन्डर फी के रूप में रु० 1000/- (एक हजार मात्र) (Non Refundable) समर्पित करना होगा। डिमांड ड्रॉफ्ट SPD BEPC के नाम से Payble at Patna में देय होगा।

12. Joint Venture/Consortium इस निविदा में भाग लेने योग्य नहीं होंगे।
13. निविदा अनुबंध में निविदा के सभी शर्त अंकित रहेंगे।

अन्य शर्त:-

1. झाँकी निर्माण पर दिये गये विषय-वस्तु को प्रदर्शन के 15 दिनों पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा, उक्त विषय-वस्तु का एक संक्षिप्त संवाद लेखन (Write-up) भी एजेंसी द्वारा तैयार किया जायेगा। जिसे मॉडल बनाकर प्रस्तुत करना होगा।
2. झाँकी का निर्माण कार्य विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा।
3. संपूर्ण झाँकी का निर्माण बड़े आकार की ट्रॉली 45'x10' Size का होगा एवं मुख्य संरचना लकड़ी का बीट, बल्ला एवं प्लाई बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
4. झाँकी का पेंटिंग वाटर प्रूफ रंग, डिसटेम्पर से होगा।
5. झाँकी के निर्माण में कपड़े का झालर, फूल, गमला इत्यादि से सजाया जायेगा।
6. झाँकी के उपर माईक एवं साउंड सिस्टम लगाया जायेगा जिसमें परियोजना द्वारा तय किये गये गीत बजते रहेंगे।
7. झाँकी में भाग लेने वाले कलाकारों की व्यवस्था, कलाकारों का परिधान एवं सजावट भी निर्माणकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
8. झाँकी में उपयोग होने वाले टेबल, कुर्सी, वाद्ययंत्र इत्यादि भी निर्माणकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
9. झाँकी से संबंधित विडियो रिकार्डिंग (पेनड्राइव में) एवं फोटोग्राफ्स की 20 प्रति निर्माणकर्ता द्वारा परिषद् को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. झाँकी का निर्माण विभागीय निर्देश के आलोक में किया जायेगा, साथ ही निर्माण स्थल पर बदलाव या निर्देश होगा उसे तत्काल पूरा किया जायेगा।
11. झाँकी में दिये गये डिजाइन के अनुरूप उत्कृष्ट नहीं होने पर अनुपातिक राशि की कटौती की जायेगी।
12. झाँकी प्रदर्शन के एक दिन पूर्व संध्या 5:00 बजे तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा एवं इसकी सुरक्षा की पूर्ण जबाबदेही के साथ ससमय प्रदर्शन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित एजेंसी की होगी।

वित्तीय निविदा:-

1. वित्तीय निविदा टंकित प्रति में अलग लिफाफे में संलग्न करनी होगी, जिसमें दर एवं कर अलग-अलग उल्लेखित हो। संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक) में न्यूनतम वित्तीय निविदा देनेवाले एजेंसी को कार्य आवंटित किया जायेगा।
2. फर्म/एजेंसी द्वारा झाँकी निर्माण के कार्य में जिन कलाकारों की सेवाएँ ली जायेगी, उन्हें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रशिक्षित होगा चाहिए। तत्संबंधी कलाकारों की सहमति के साथ उनका प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
3. झाँकी निर्माण के दौरान सभी कलाकारों एवं कर्मी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के झाँकी निर्माण कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग/संस्था के कार्य नहीं करेंगे।
4. झाँकी का निर्माण जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये बड़े ट्रक पर अनुमोदित आलेख एवं डिजाइन के अनुरूप कार्य स्थल पर उपस्थित विभागीय पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी के निदेशानुसार करना होगा।
5. झाँकी को जीवंत बनाने हेतु झाँकी में भाग लेने वाले कलाकारों एवं उसके जीवंत प्रदर्शन, उनके परिधान, ध्वनि विस्तारक यंत्र, थीम म्यूजिक, लाईट एंड साउंड आदि की व्यवस्था चयनित एजेंसी को करनी होगी, जिससे झाँकी भव्य एवं आकर्षक बने।

6. झाँकी प्रदर्शित होने तक झाँकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी चयनित एजेंसी की होगी।
7. एजेंसी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना सर्वोच्च परिणाम देते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आकर्षक एवं गुणवत्तापूर्ण झाँकी का निर्माण करेंगे, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों का उपयोग किया जायेगा ताकि झाँकी का स्वरूप भव्य एवं दर्शनीय लगे, जिससे शिक्षा विभाग के कार्यों की सराहना की जा सके।
8. प्रदर्शन अवधि में झाँकी में किसी प्रकार की टूट-फूट, कमी अथवा प्रदर्शन में असफलता, गुणवत्ता में कमी आदि होने पर भुगतान में उचित कटौती/पूर्ण कटौती कर ली जाएगी तथा एजेंसी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
9. झाँकी में प्रदर्शन के उपरांत सॉल्वेज फर्म/एजेंसी का होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही फर्म/एजेंसी दर उद्धृत करेंगे।
10. झाँकी निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य स्तरीय कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
11. किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताए रद्द/अस्वीकृत करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को सुरक्षित होगा। इसकें किसी प्रकार का वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
12. असफल निविदादाताओं को ई.एम.डी., एजेंसी चयन के 15 दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी तथा चयनित एजेंसी का ई.एम.डी कार्य समाप्ति के पश्चात् वापस की जाएगी।
13. इस कार्य के विरुद्ध विपत्र का भुगतान, विपत्र समर्पित करने के पश्चात् किया जाएगा। बशर्ते कि कार्य संतोषप्रद हो।
14. झाँकी प्रदर्शन के एक दिन पूर्व संध्या 5:00 बजे तक विशिष्टियों के अनुसार पूर्ण रूपेण तैयार हो जानी चाहिए।
15. विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.bepcssa.in पर देखा जा सकता है।




(असम्भवा चुर्बा आओ)
राज्य परियोजना निदेशक

निविदादाता के Letter Head पर अंकित होगा।
गणतंत्र दिवस 2023 हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र

- (1) फर्म/एजेंसी का नाम.....
- (2) फर्म/एजेंसी का पूर्ण पता.....
- (3) फर्म/एजेंसी के अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नं०.....

क्र०सं०	कार्य का विवरण	राशि (रूपये में) कर छोड़कर
A	1. संपूर्ण झाँकी का निर्माण बड़े आकार की ट्रॉली 45'x10' Size का होगा एवं मुख्य संरचना लकड़ी का बीट, बल्ला एवं प्लाई बोर्ड द्वारा किया जायेगा।	
	2. झाँकी का पेंटिंग वाटर प्रूफ रंग, डिसटेम्पर से होगा।	
	3. झाँकी के निर्माण में कपड़े का झालर, फूल, गमला इत्यादि से सजाया जायेगा	
	4. झाँकी के उपर माईक एवं साउंड सिस्टम लगाया जायेगा जिसमें परियोजना द्वारा तय किये गये गीत बजते रहेंगे।	
	5. झाँकी में भाग लेने वाले कलाकारों की व्यवस्था, कलाकारों का परिधान एवं सजावट भी निर्माणकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।	
	6. झाँकी में उपयोग होने वाले टेबल, कुर्सी, वाद्ययंत्र इत्यादि भी निर्माणकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।	
	7. झाँकी से संबंधित विडियो रिकार्डिंग (पेनड्राइव में) एवं फोटोग्राफ्स की 20 प्रति निर्माणकर्ता द्वारा परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।	
B	कर (Tax)	
कुल रूपया (A+B)		

कुल रूपये (शब्दों में).....

दिनांक—

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मोहर के साथ)